भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 362
दिनांक 2 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

लक्षद्वीप में कार्यरत अग्निशमन पुलिसकर्मियों हेतु भत्ते

†362. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में आया है कि संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप में कार्यरत अग्निशमन पुलिसकर्मियों को वे सभी भत्ते और लाभ प्रदान नहीं किए जा रहे हैं जो अन्य संघ राज्यक्षेत्रों और राज्यों में उनके समकक्ष कर्मियों को दिए जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में लक्षद्वीप में अग्निशमन पुलिसकर्मियों को प्रदान किए जा रहे भत्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कर्मियों के कर्तव्यों की प्रकृति और द्वीपों के भौगोलिक अलगाव को देखते हुए उन्हें अतिरिक्त जोखिम, कठिनाई और द्वीप भत्ते को संशोधित करने या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव कब तक लागू होने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) एवं (ख): संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संघ राज्यक्षेत्र में कार्यरत अग्निशमन कर्मियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न भत्ते/लाभ प्रदान किए जाते हैं। विवरण अनुलग्नक-। में है।

(ग) एवं (घ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 362, दिनांक 02.12.2025

अनुलग्नक-I

<u>संघ राज्यक्षेत्र</u> <u>लक्षद्वीप में अग्निशमन कर्मियों को स्वीकार्य भत्ते/लाभ</u>

क्रम सं	द्वीप का नाम	भत्ते / लाभ (दरों के साथ)
1.	कवरत्ती व अगाती	i. जोखिम भत्ता - ₹3,375/- प्रति माह ii. वर्दी भत्ता - ₹12,500/- वार्षिक iii. द्वीप विशेष ड्यूटी भत्ता - मूल वेतन का 10% प्रति माह iv. कठिन स्थान भत्ता - ₹5,125/- प्रति माह
2.	मिनीकॉय	i. जोखिम भत्ता - ₹3,375/- प्रति माह ii. वर्दी भत्ता - ₹12,500/- वार्षिक iii. द्वीप विशेष ड्यूटी भत्ता - मूल वेतन का 20% प्रति माह iv. कठिन क्षेत्र भत्ता - मूल वेतन का 20% प्रति माह v. कठिन स्थान भत्ता - ₹5,125/- प्रति माह अग्निशमन कर्मियों के पास उपरोक्त (iv) या (v) में से कोई एक चुनने का विकल्प है।
3.	अमीनी, कदमत, चेतलत, किल्तान, बित्रा, एंड्रोट व कल्पेनी	i. जोखिम भत्ता - ₹3,375/- प्रति माह ii. वर्दी भत्ता - ₹12,500/- वार्षिक iii. द्वीप विशेष ड्यूटी भत्ता - मूल वेतन का 16% प्रति माह iv. कठिन क्षेत्र भत्ता - मूल वेतन का 12% प्रति माह v. कठिन स्थान भत्ता - ₹5,125/- प्रति माह अग्निशमन कर्मियों के पास उपरोक्त (iv) या (v) में से कोई एक चुनने का विकल्प है।